

न्यायालय- कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद (म.प्र.)
परिपत्र

देश में कोरोना वायरस के तेजी से हो रहे संक्रमण को देखते हुये माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक सी/1778 जबलपुर दिनांक 19.07.2020 द्वारा जारी एडवाइजरी के अनुक्रम में पक्षकारों अधिवक्तागण साक्षियों एवं हितबद्ध व्यक्तियों को सूचनार्थ निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं।

1. इस न्यायालय में दिनांक 20.07.2020 से दिनांक 25.07.2020 तक नियत (आवेदनो पर तर्क, अंतिम तर्क, निर्णय एवं आदेशों के लिए नियत प्रकरणों को छोड़कर) शेष प्रकरणों में निम्नानुसार तिथियां नियत की जाती हैं-

सरल क्र.	नियत दिनांक	आगामी नियत दिनांक
1	20.07.20	26.08.20
2	21.07.20	27.08.20
3	22.07.20	28.08.20
4	23.07.20	29.08.20
5	24.07.20	31.08.20
6	25.07.20	01.09.20

2. प्रकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अथवा वीडियो मोबाइल ऐप के माध्यम से तर्क सुने जावेंगे तथा लिखित तर्क ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

3. जिन प्रकरणों में नियत दिनांक को पक्षकार सुनवाई चाहते हैं, उन प्रकरणों में वे ई-मेल के माध्यम से आवेदन पत्र पेश कर सकेंगे और साक्ष्य अभिलिखित करने के अलावा अन्य कार्यवाही उनके निवेदन पर संपादित की जा सकेगी।

4. जो पक्षकार याचिका, आवेदनपत्र आदि प्रस्तुत करना चाहते हैं वे ई-मेल के माध्यम से आवेदन पत्र पेश कर सकेंगे।

न्यायालयीन प्रक्रिया में हितवद्ध सभी व्यक्तियों से कोरोना वायरस की बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिये उपरोक्तानुसार व्यवस्था में सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है।

Jal.
(देव नारायण शुक्ल)
(देव नारायण शुक्ल)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)
कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद

प्रतिलिपि:-

1- अध्यक्ष अधिवक्ता संघ होशंगाबाद को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे अधिवक्तागण को Whats app आदि के माध्यम से सूचित करें।

2 सिस्टम ऑफिसर, होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईड पर अपलोड करें।

20.7.20
(देव नारायण शुक्ल)
(देव नारायण शुक्ल)
प्रधान न्यायाधीश
कुटुम्ब न्यायालय होशंगाबाद(म.प्र.)
कुटुम्ब न्यायालय, होशंगाबाद